



4 669/201/2015  
15-12-15

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत

आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता का नाम

225 लोक सूचना अधिकारी

पता - अन्तर्गत (फोन) 457833

94071-51771

26-12-2015

कक्षा अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी

नाम दिल्ली दिल्ली

1. आवेदक का नाम
2. पता/ई-मेल/ फ़ैक्स/ पिन कोड जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूर से प्रेषित
4. आवेदन देने का दिनांक
5. आवेदक का नाम

किसी भी जानकारी का विवरण

किसी व्यक्ति की जानकारी की कोशिश में

कोशिश रिफ्यूजिंग अपराधीक खत है या नहीं? (A) सब किस श्रेणी का अपराध कहलाएगा? (B) निरीक्षण में इसके विषय क्या था? एवं क्या कदम लिए? (C) वर्तमान में प्रयुक्त कानून के कोश रिफ्यूजिंग अपराध हो जाती है जिसका दुरुपयोग लोक सूचना अधिकारी के अधिकार में प्रावधान है? (D) किस परिस्थिति में कोश रिफ्यूजिंग या कोश रिफ्यूजिंग अपराध नहीं माना जावेगा? (E) यदि कोश रिफ्यूजिंग अपराध से हुई हो तो क्या यह अपराध है?

7. क्या चाहते हैं नकल/ निरीक्षण/ रिकार्ड निरीक्षण रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नमूना

जानकारी

8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी: 10 नकल/ स्लॉम (ई.पी.एल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्रमांक 99F-821 2015 दिनांक 26-12-2015

यदि आवेदक गरीबी को रखा के नीचे है, यदि हाँ तो बीपीएल सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नमन ज्यूडिशियल स्टाम्प चन्दा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवेदक राशि का डाक टिकट तथा विफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/ अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी (लोक सूचना अधिकारी/ सहा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

Dept of Telecom  
Dis (TS-D)

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### समय सारणी

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत

1. आवेदन प्राप्त की दिनांक.....
2. आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/ कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा।
3. संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख तीन कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टैग सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा 8 [ ]के अंतर्गत वर्जित तो नहीं है। शाखा प्रभारी यहि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी वशा में अधिकारीन द्वारा कार्यदिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा।
4. लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवसों में आवेदक को सूचना / प्रतिलिपि/ सम्बल शुल्क अदा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे।
5. लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की समयवधि में वांछित दस्तावेज/ नकल/ निरीक्षण अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
6. यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/ विभाग से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/ विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्यदिवस में अंतरित कर देंगे। साथ ही आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे।

Reply of Sl No. 253  
RTI Matter  
By Speed Post

No. II.20034/35/2014-IS.II/M  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(IS.I Division/IS.II Desk)

North Block, New Delhi,  
Dated: 14 Jan, 2014

To

Shri Krishanpal Singh, Nandu Singh je Makwana  
295, Garh Mohalla, Sukheda  
Distt Ratlam, MP 457333.

Sub: Application of Shri Krishanpal Singh, Nandu Singh je Makwana seeking information under Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 06.12.2013 received in the office of undersigned on 02.01.2014 vide MHA OM 43020/01/2013-RTI dated 23.12.2013 on the above subject.

2. Para wise reply of requested information is as under:

- 1) Interception of communication by authorized Law Enforcement Agencies (LEAs) can be carried out legally in accordance with the provisions of Section 5(2) of Indian Telegraph Act 1885 and Indian Telegraph (Amendment) Rules 2007, which are available in public domain.
- 2) & 3) : Legal provision/Penalty for unauthorised interception is prescribed section 26 of the Indian Telegraph Act 1885.
- 4) For para 4, application is transferred to Department of electronics and IT for providing the reply.
- 5) & 6) : Interception of communication by authorized Law Enforcement Agencies (LEAs) is carried out in accordance with the provisions of Section 5(2) of Indian Telegraph Act 1885 and Indian Telegraph (Amendment) Rules 2007.

3. It is informed that in case you are not satisfied with the reply, you can prefer an appeal within 30 days from the receipt of this communication to Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (Internal Security-I), Room No 197-B, North Block, Ministry of Home Affairs, New Delhi, who is the Appellate Authority in this case.

Yours faithfully,

  
(Rakesh Mittal)

Director (Internal Security-I) & CPIO

o/c

To

CPIO, Department of Electronics and Information Technology, CGO Complex, New Delhi, 110003 for providing information in respect of para 4 of the enclosed application.